तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा संख्या :- 140/2022 राजेश कुमार बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-8-2022	आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय तहसीलदार रिपोर्ट पेश हुआ। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम झुन्झुनू की जमाबंदी सम्वत 2074—77 के खाता संख्या 194 में काश्तकार का नाम जयन्त कुमार पुत्र रामू दर्ज है जिसके स्थान पर राजेश कुमार पुत्र रामू दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि जमाबंदी सम्वत 2074—77 के खाता संख्या 194 में काश्तकार का नाम जयन्त कुमार पुत्र रामू दर्ज जबकि उसका सही नाम राजेश कुमार पुत्र रामू है जो शुद्ध किये जाने बाबत अभिशंषा सहित रिपोर्ट प्रेषित की है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनू का अवलोकन किया गया, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर उचित एवं न्यायोचित है। अतः **<u>आदेश</u>** प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि ग्राम झुन्झुनू की जमाबंदी सम्वत 2074—77 के खाता संख्या 194 में काश्तकार जयन्त कुमार पुत्र रामू के स्थान पर राजेश कुमार पुत्र रामू शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार झुन्झुनू को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं जाप्ता वाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 22-8-2022 को सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	